न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 33/2024 — निर्णय दिनांक 23.06.2025
जीसीएमएस नम्बर 2024/85

1. मनोहरीदेवी पत्नी स्व. रेवंतराम		
2. कंचन 3. डूंगरराम 4. हीरां 5. सुखदेव 6. ममता 7. उर्मिला 8. संजू	पुत्रगण/पुत्रियां स्व. रेंवतराम	जाति ब्राह्मण निवासीगण बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादीगण—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि वादीगण के दादा सुगनाराम वल्द भूराराम की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 99 तादादी 21 बीघा 12 बिस्वा व सुगनाराम वल्द भूराराम व पन्नाराम वल्द भैराराम की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 49, 50, 55 कुल तादादी 188 बीघा वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। कालान्तर में खसरा नम्बर 49, 50, 55, 99 के नये खसरा नम्बर क्रमशः 62, 69, 80 व 130 कायम हो गये। सम्वत् 2016 में वादीगण के दादा/ससुर सुगनाराम की मृत्यु हो गई। सुगनाराम की मृत्युपरांत खसरा नम्बर 62, 69, 80 व 130 में 1/2 हिस्से की खातेदारी पन्नाराम वल्द भैराराम के नाम 1/2 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई तथा 1/2 हिस्सा की खातेदारी सुगनाराम के वारिसान भंवरूराम, जोधाराम, लालूराम व खेताराम (रेंवतराम) के नाम दर्ज हुई। राजस्व अमला द्वारा सेटलमेन्ट सम्वत् 2016 के द्वारा सुगनाराम की मृत्यु के बाद उक्त खसरान भूमि में वादीगण के पति/पिता का सही नाम रेवंतराम नहीं लिखकर खेताराम लिख दिया गया जो आज तक राजस्व रिकार्ड में चलता रहा है। राजस्व अमला द्वारा सम्वत् 2060 में फिर खसरा नम्बर 62, 80, 69, 130 के नये खसरा नम्बर क्रमशः 44, 79, 93, 166 कायम कर दिए गये । उक्त खसरान भूमि के संयुक्त खातेदार पन्नाराम वल्द भैराराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय कर दिया तथा सुगनाराम के वारिसान भंवरूराम, जोधाराम की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्युपरान्त समय समय पर इन्तकाल दर्ज होते रहे है । वादी के पति/पिता रेवंतराम की भी मृत्यु हो चुकी है परन्तु वादीगण के पति/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से वादीगण के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका है । वर्तमान खसरा नम्बर 166 तादादी 5.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 3.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 तादादी 5.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 तादादी 23.8600 हैक्टेयर में वादीगण के पति/पिता रेवंतराम उर्फ खेताराम के नाम 16/109 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त वादगत खसरान भूमि में वादी के दादा/ससुर सुगनाराम के [illegible] की खातेदारी दर्ज थी। सुगनाराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान भंवरूराम, [illegible], लालूराम, खेताराम के संयुक्त नाम से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त खसरान भूमि [illegible] के पति/पिता रेवंतराम उर्फ खेताराम का 1/8 हिस्सा निहित हुआ जो तत्पश्चात् [illegible] 109 हिस्सा के रूप में आज भी दर्ज चला आ रहा है । वादीगण के पति/पिता का नाम सेटलमेन्ट के दौरान बिलकुल [illegible] गलत रूप से रेवंतराम की बजाय खेताराम अंकित कर दिया गया [illegible] कि वादीगण के पति/[illegible] का नाम कभी भी खेताराम नहीं रहा है। वादीगण अनपढ व ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जिनको वादगत खसरान

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

भूमि में अपने पति/पिता के गलत नाम के बारे में कभी ध्यान तक नहीं दिया, वादीगण के पति/पिता की मृत्युपरान्त जब विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु वादीगण ने माह अप्रेल 2023 में तहसील कार्यालय में आकर राजस्व रिकार्ड की जानकारी की तो वादीगण को पूर्ण जानकारी हुई कि वादीगण के पति/पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, तब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की समस्त नकले माह अगस्त 2023 तक निकलवाई तो सम्पूर्ण जानकारी हुई। वादीगण के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार, आदि में वादीगण के पति/पिता का नाम रेवंतराम पुत्र सुगनाराम अंकित चला आ रहा है। यानि वादीगण के पति/पिता का सही व वास्तविक व रिकार्ड न अनुसार नाम रेवंतराम है। वादीगण के पति/पिता रेवंतराम की मृत्यु होने पर जब उपरोक्त खसरा भूमि में विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही शुरू की व पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल आदि की नकले माह अगस्त 2023 में निकलवाई तो वादीगण को जानकारी हुई कि वादीगण की संयुक्त पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 166, 44, 79, 93 कुल तादादी 38.1500 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम गलत रूप से खेताराम अंकित कर रखा है जबकि वादीगण के पति/पिता का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही रेवंतराम रहा है जिसके नाम की शुद्धि करवाकर उनके 16/109 हिस्से की वादीगण संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पति/पिता का शुरू से ही नाम रेवंतराम चला आ रहा है। केवल राजस्व रिकार्ड में खेताराम अंकित हो गया है। वादीगण के अन्य तमाम दस्तावेजों में उनके पति/पिता का नाम रेवंतराम अंकित है । वादीगण के पति/पिता के नाम के सम्बन्ध में राशन कार्ड, मतदाता पहचान, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड व वादी डूंगरराम का शपथ पत्र, मृतक रेवंतराम का मृत्यु प्रमाण पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत बापेऊ द्वारा जारी प्रमाण पत्र वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव बापेऊ. पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में रेवंतराम पुत्र सुगनाराम जाति ब्राह्मण के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वर्णित खसरान भूमि में 16/109 हिस्सा भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है परन्तु वादीगण के पति/पिता का राजस्व रिकार्ड में नाम खेताराम अंकित होने के कारण वादीगण के नाम विरास्तन खातेदारी राजस्व अमला द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है जिसके कारण वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादीगण अपनी पैतृक खातेदारी से ही वंचित हो रहे है। वादगत खेतों में वादीगण के पति/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है, इस बाबत वादीगण ने दिनांक 01.02.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि हमारे पति/पिता का नाम रेवंतराम है जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर खेताराम अंकित कर दिया गया है जबकि हमारे अन्य तमाम दस्तावेजात में रेवंतराम अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज खातेदारी 16/109 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम संयुक्त रूप से घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादीगण को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादीगण के पति/पिता के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु यह दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 5.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 3.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 तादादी 5.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 तादादी 23.8600 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान में वादीगण के पति/पिता का नाम खेताराम गलत अंकित चला आ रहा जिसकी दुरूस्ती [illegible] खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त शुद्धि करने [illegible] रूप से इन्कार कर दिया। इन्कारी की दिनांक से वादीगण को वाद हेतु [illegible] की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से वादाधिकार प्राप्त है। दावा [illegible] रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये [illegible] से पूर्व धारा 80 सी. पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। दावा आवश्यक प्रकृति [illegible] है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:46 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पति/पिता का नाम गलत अंकित होने से वादीगण वादगत खेतों में विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं करवा पा रहे व वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादीगण का दावा उनके पति/पिता के नाम की शुद्धि का है तथा बाद शुद्धि विरास्तन खातेदारी घोषित होनी है इसलिए वादीगण के इस दावा से वादगत खसरान भूमि के अन्य सहखातेदारान प्रभावित नहीं हो रहे है इसलिए अन्य सहखातेदारान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। वादगत खेत रोही मौजा बापेऊ पुरोतिहान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर से निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 5.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 3.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 तादादी 5.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 तादादी 23.8600 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम खेताराम पुत्र सुगनाराम अंकित कर रखा है उसके स्थान पर सही नाम रेवंतराम पुत्र सुगनाराम दुरूस्त किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे–

(ख) कि खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 5.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 3.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 तादादी 5.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 तादादी 23.8600 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता के नाम की बाद दुरूस्ती रेवंतराम के 16/109 हिस्से की खातेदारी वादीगण के संयुक्त नाम से बतौर विरासतन खातेदारी घोषित करने का आदेश प्रतिवादी के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाक प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नही होनें के कारण तनकीयात कायम नही की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी में डूंगरराम का शपथपत्र पेश कर दस्तावेज 01 से 21 प्रर्दश करवायें गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। पुनः परीक्षण शून्य। वादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। लिहाजा साक्ष्यवादी बन्द की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 5.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 3.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 तादादी 5.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 तादादी 23.8600 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम खेताराम के स्थान पर शुद्ध नाम रेवंतराम दुरूस्त किया जाकर रेवंतराम के 16/109 हिस्से की खातेदारी वादीगण के संयुक्त नाम से बतौर विरासतन खातेदारी घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जोन का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर से खारिज होकर रिकॉर्ड रूम दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:46 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल

उनवान

1. मनोहरीदेवी पत्नी स्व. रेवंतराम 2. कंचन 3. डूंगरराम 4. हीरां 5. सुखदेव 6. ममता 7. उर्मिला 8. संजू	पुत्रगण/पुत्रियां स्व. रेंवतराम	जाति ब्राह्मण निवासीगण बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 33/2024
निर्णय दिनांकः 23.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता साजिद खान एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 166 तादादी 5.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 तादादी 3.6800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 तादादी 5.1500 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 93 तादादी 23.8600 हैक्टेयर वाकेरोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम खेताराम के स्थान पर शुद्ध नाम रेवंतराम दुरूस्त किया जाकर रेवंतराम के 16/109 हिस्से की खातेदारी वादीगण के संयुक्त नाम से बतौर विरासतन खातेदारी घोषित कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जोन का आदेश दिया जाता है।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:46 IST
Reason: SelfAttested